(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTEE OF INDIA PART-I SECTION II)

No. I-14011/18/2015-IPS.I (II) Government of India / भारत सरकार Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय

0 3 MAR 2016 New Delhi, the ___February, 2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Sikkim Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Sikkim Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :-

Select List 2014

S.No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.	Prawin Gurung	24.10.1963
2.	Thakur Thapa	18.01.1971
3.	Tashi Wangyal	28.06.1969

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

> (Harish Chandra Rai) Under Secretary to the Government of India Tele No. 2309 2527

To

The Manager, Govt. of India Press, Faridabad (Haryana)

0 3 MAR 2016

No.I-14011/18/2015-IPS.I(II)

Dated, the

February, 2016

A copy each is forwarded to: -

- The Chief Secretary, Government of Sikkim, Gangtok. (Kind Attn. Mrs Surekha 1. Pradhan, Additional Secretary, (DoP,AR&T)) with 3 spare copies for concerned officers.
- 2. The Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, NEW DELHI. (Kind Attn. Shri Shankar Lal, Under Secretary, AIS) for information.
- The Accountant General, Sikkim, Gangtok. 3.
- The Director General of Police, Sikkim, Gangtok. 4.
- IPS-II, III, IV / ACR Cell / Civil List Seat / Seniority Seat. 5
- SO (IT) for uploading this notification on the website of MHA. 6.

(Harish Chandra Rai)

Under Secretary to the Government of India

भारत के राजपत्र, भाग।, खण्ड (।।), में प्रकाशनार्थ} सं. आई—14011/18/2015—आईपीएस—1(॥)

भारत सरकार गृह मंत्रालय

0 3 MAR 2016 नई दिल्ली, दिनांक फरवरी, 2016

अधिसूचना

राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नित द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप—विनियम (1) के साथ पिठत भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप—विनियम (1) में प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम पुलिस सेवा के निम्निलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप—विनियम (1) के अन्तर्गत सिक्किम संवर्ग प्रदान करते हैं :—

चयन सूची-2014

कम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व / श्री)	जन्म तिथि
1	प्रवीन गुरंग	24.10.1963
2.	टाकुर थापा	18.01.1971
3.	तासी वांगयाल	28.06.1969

2. यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

(हरीश[®] चन्द्र राय) अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 2309 2527

सेवा में.

प्रबंधक, भारत सरक

भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद, हरियाणा ।

सं. आई-14011 / 18 / 2015-आईपीएस-1(।) नईदिल्ली,

0 3 MAR 2016 दिनांक फरवरी, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः

- 1. मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार, गंगटोक ध्यानार्थः सुश्री सुरेखा प्रधान, अतिरिक्त सचिव, (डीoओoपीo, एoआरo एण्ड टी)} को संबंधित अधिकारियों हेतु 3 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- 2. **सचिव, संघ लोक सेवा आयोग (ध्यानार्थः श्री शंकर लाल, अवर सचिव, ए.आई.एस)**, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
- 3. महालेखापाल, सिक्किम, गंगटोक ।
- 4. पुलिस महानिदेशक, **सिक्किम, गंगटोक** ।
- 5. आई.पी.एस. II, III, IV / ए.सी.आर. सेल / सिविल लिस्ट सीट।
- 6. अनुभाग अधिकारी (आई टी), उपयुक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रकाशित करने हेतु।

(हरीश चिन्द्र राय) अवर सचिव, भारत सरकार